

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(छात्रसंघ चुनाव)अकाद/निकाशि/2011 | 328

दिनांक 9 अगस्त 2011

समस्त प्राचार्य,


राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:-महाविद्यालयों में होने वाले छात्रसंघ चुनाव 2011 के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश।
महोदय,

महाविद्यालय में दिनांक 20-08-2011 को छात्रसंघ चुनाव आयोजित किये जा रहे हैं। इन चुनाव के व्यवस्थित संचालन हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

- 1- विधि महाविद्यालयों में एल.एल.बी. तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों में पात्रता आयु सीमा (स्नातक व बाद होने के कारण) स्नातकोत्तर स्तर का मानते हुए 25 व एल.एल.बी. 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम तीन वर्ष के विद्यार्थियों की पात्रता आयु सीमा 17 से 22 वर्ष एवं उसके बाद 4 व 5 वें वर्ष के विद्यार्थियों हेतु आयु सीमा 25 वर्ष होगी।
- 2- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/संयुक्त सचिव पद पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का महाविद्यालय में न्यूनतम एक वर्ष तक अध्ययनरत होना आवश्यक नहीं है।
- 3- लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्याशी विद्यार्थी के कोई शैक्षणिक बकाया से अर्थ है कि उसके कोई ड्यू पेपर अथवा पूरक नहीं होना चाहिए।
- 4- केवल पूर्णकालिक विद्यार्थी ही छात्रसंघ चुनाव लड़ सकता है, न कि ऐसे श्रम विधि डिप्लोमा विद्यार्थी जो कि न्यायालय में नियमित वकालत भी कर रहे हों।
- 5- लिंगदोह समिति के अनुसार कोई भी विद्यार्थी छात्रसंघ पदाधिकारी के पद पर केवल एक बार चुनाव लड़ सकता है लेकिन कार्यकारिणी सदस्य (कक्षा प्रतिनिधि) का चुनाव 2 बार लड़ सकता है।
- 6- छात्रसंघ अध्यक्ष हेतु छात्र/छात्रा किसी भी कक्षा के हो सकते हैं।
- 7- छात्रसंघ अध्यक्ष की कार्यकारिणी में अधिकतम सदस्यों की संख्या उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करेगी।
- 8- महाविद्यालय शिकायत निवारण तंत्र समिति में स्नातक महाविद्यालय में तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तरार्द्ध के एक छात्र व एक छात्रा सदस्य होंगे।
- 9- चुनाव लड़ने वाले छात्र की आयु की गणना नामांकन पत्र दाखिल करने के समय की जानी चाहिए।
- 10- कक्षा प्रतिनिधि 40 विद्यार्थियों पर एक के अनुसार बनाये जाये व न्यूनतम 30 विद्यार्थी अतिरिक्त होने पर ही दूसरा अथवा तीसरा प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षा में 30 से कम विद्यार्थी होने पर न्यूनतम एक कक्षा प्रतिनिधि चयनित करना होगा।
- 11- स्ववित्त पोषी पाठ्यक्रमों के छात्रों को महाविद्यालय के नियमित छात्र होने के कारण चुनाव में खड़े होने एवं वोट डालने का पूर्ण अधिकार है।
- 12- छात्रसंघ चुनावों के संबंध में पूर्व में प्रचलित विधानों के स्थान पर 25-06-10 एवं 15-07-10 को जारी निर्देश ही प्रभावी होंगे।

भवदीय,


(सुबीर कुमार)
निदेशक